

न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर०ए०एस० अति० सभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
 प्रकरण संख्या: 43/2021/अपील/एलआरएक्ट/झालावाड
 दायरा दिनांक: 9.11.2021
 अन्तर्गत धारा: 76 राज०भू राजस्व अधि०, 1956

उनवान

सुजानसिंह वल्द डूंगरसिंह जाति राजपूत निवासी भाटखेडी तहसील गंगधार जिला झालावाड राज०।

...अपीलार्थी

बनाम

राज० सरकार जरिये तहसीलदार गंगधार जिला झालावाड राज०।

... रेस्पोजेन्ट

उपस्थित : श्री सी० पी० खण्डेलवाल अभिभाषक -अपीलार्थी
 पैरोकार सरकार-रेस्पोजेन्ट

::निर्णय::

दिनांक 30.4.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा अपील सं० 74/2020 अन्तर्गत धारा 75 राज० भू राजस्व अधिनियम बउनवान सुजानसिंह बनाम राज० सरकार जरिये तह० गंगधार मे पारित निर्णय दिनांक 24.2.2021 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरुद्ध द्वितीय अपील राज० भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

- 1 अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है, कि परीक्षण न्यायालय तहसीलदार गंगधार ने निर्णय दिनांक 13.11.2019 को ग्राम भाटखेडी तहसील गंगधार की आराजी खसरा नं० 176 रकबा 2.10 बीघा काबिल काश्त भूमि पर अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर राशि 600/-रूपये शास्ति एवं 1 माह (30 दिन) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया जिसकी अपील अपीलांट द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड के यहां पेश की गई जो उनके द्वारा दिनांक 24.2.2021 को खारिज की गई। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.2.2021 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील राज० भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश कर वर्णित किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय मनमाना केप्रिसियस तथा परवर्स तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है जबकि पटवारी ने अपीलांट की मौजूदगी मे पैमाईश नही की है। अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नही है। पेनल्टी की राशि जमा करा दी है, तथा कब्जा छोडने का प्रमाण पत्र न्यायालय मे पेश कर देगा। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई, जवाबदेही व साक्ष्य का अवसर दिये बिना अपीलांट की गैर मौजूदगी मे एक तरफा निर्णय पारित किया है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी नही है। अपीलांट माननीय न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों की अनुपालना करने को तत्पर व तैयार है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त करने की इस्तदुआ की गई।
- 2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोजेन्ट पैरोकार सरकार सुनी गई।
- 3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही एक पक्षीय रूप से अपीलांट की अनुपस्थिति मे निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है जबकि पटवारी ने अपीलांट की मौजूदगी मे पैमाईश नही की है। अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नही है। पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के कोई सत्यापित दस्तावेज पत्रावली पर नही है। निर्णय

(Handwritten signature)

मनमाना केप्रिसियस तथा परवर्स तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विरुद्ध है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा बहस में आगे बताया कि पेनल्टी की राशि जमा करा दी है, तथा कब्जा छोड़ने का प्रमाण पत्र न्यायालय में पेश कर देगा। अतः सजा माफ कर दी जावे। अंत में अपील स्वीकार कर निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय अपास्त करने का अनुरोध किया।

- 4 पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय न्यायोचित होना जाहिर करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।
- 5 अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है अतः प्रकरण का गुणावगुण पर अवलोकन कर निर्णय किये जाने से पूर्व मियाद के बिन्दू को निर्णित किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट द्वारा डिले कन्डोन हेतु अपील में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के समर्थन में स्वयं का पथ पत्र भी पेश किया है। रेस्पोंड पैरोकार सरकार ने शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों का खण्डन नहीं किया है ना ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया है ऐसी स्थिति में शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली में कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नहीं है। लिहाजा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवाधि मध्य माना जाता है।
- 6 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं पैरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख एवं आलौच्य हरदो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार गंगधर ने निर्णय दिनांक 13.11.2019 को ग्राम भाटखेडी तहसील गंगधर की आराजी खसरा नं0 176 रकबा 2.10 बीघा काबिल काश्त भूमि पर अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये भूमि से बेदखल कर व 600/-रूपये शास्ति एवं 1 माह (30 दिन) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित दण्डित किये जाने पर प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड के यहां पेश की गई जिसे अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड द्वारा तहसीलदार गंगधर के उक्त आदेश/निर्णय में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होना मानते हुये दिनांक 24.2.2021 को निर्णय पारित कर अपील को खारिज किया गया।
- 7 अपील प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का मुख्य तर्क रहा है कि परीक्षण न्यायालय तहसीलदार गंगधर द्वारा पारित निर्णय 13.11.2019 अपीलांट की अनुपस्थिति में एक तरफा पारित किया है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा नहीं है। कब्जा छोड़ने का प्रमाण पत्र न्यायालय में पेश कर देगा। तथा तावान राशि जमा करादी है अतः सजा माफ कर दी जावे। अपीलांट के उक्त तर्क के परिपेक्ष्य में, तहसीलदार गंगधर द्वारा दिनांक 13.11.2019 को अपीलांट की अनुपस्थिति में एक तरफा निर्णय पारित किया है। प्रकरण में उसका यह भी कथन रहा है कि उसके द्वारा वादग्रस्त भूमि पर से कब्जा छोड़ दिया गया है इसलिये उसके साथ नरमी का रूख किया जा सकता है। यदि अपीलार्थी तहसीलदार गंगधर में उपस्थित होकर एक शपथ पत्र इस बावत प्रस्तुत करे कि उसके द्वारा वादग्रस्त भूमि से कब्जा हटा लिया है तथा वह भविष्य में किसी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करेगा और अधिरोपित अर्थ दंड की राशि अदा कर देगा तो उसे सिविल कारावास के दंड से मुक्त किया जा सकता है। परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक तौर पर स्वीकार की जाकर तहसीलदार गंगधर के निर्णय दिनांक 13.11.2019 में आंशिक संशोधन किया जाता है। अपीलांट को सिविल कारावास की 1 माह (30 दिन) की सजा से मुक्त किया जाता है। सिविल कारावास की सजा से मुक्ति तभी मिलेगी जब वह न्यायालय तहसीलदार गंगधर के समक्ष एक शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत कर दे कि उसने वादग्रस्त भूमि से कब्जा छोड़ दिया है तथा वह भविष्य में किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त उस पर अधिरोपित अर्थ दंड जमा करा दिया गया हो। तहसीलदार गंगधर यह सुनिश्चित करले कि विवादित भूमि से कब्जा अपीलार्थी ने हटा दिया हो तथा अधिरोपित अर्थ दण्ड कजमा करा दिया जो तभी उसे सिविल कारावास के दंड से मुक्ति दी जा सकेगी अन्यथा तहसीलदार गंगधर का निर्णय यथावत रहेगा। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड का निर्णय दि0 24.2.2021 अपास्त किया जाता है।
- 8 निर्णय आज दिनांक 30.4.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)

अति0 संभागीय आयुक्त

कोटा